

21125

पत्रा नली पैसा कुं, वकील
पुर्व उम.। वकील पुर्व का

पत्र-पत्र 11, 128. L.R. Act 2011 का 12

क्या जाकर सिविल प्रथम से

निष्कर्षण जाकर सी. ए. ए.।

पत्रा नली वकील उम.। देकर

वकील वकास हो

उप. अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 161/2024

उनवान

1. लादू लाल भील पुत्र भैरू लाल भील निवासी पार्वतीपुरा गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री बबलू खटीक पुत्र देवी लाल खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
2. श्री मदन पुत्र मोहन लाल दरोगा निवासी झोपडिया मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3. श्री गोपाल पुत्र मोहन लाल दरोगा निवासी झोपडिया मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
4. श्री कालू पुत्र बंशी दरोगा निवासी झोपडिया मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02-01-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 21-11-2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 940 की आ.न. 1103/3 रकबा 0.8852 है0, कुल किता 01 रकबा 0.8852 है0, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 940 की आ.न. 1103/3 रकबा 0.8852 है0, कुल किता 01 रकबा 0.8852 है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।


(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ